UPSI180000952004

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबा-सीतापुर।

फौजदारी वाद संख्या-508/ 2004

सरकार बनाम अफसर।

अपराध संख्या-245/ 2004
धारा-60 आबकारी अधिनयम,
थाना-महमूदाबाद, जिला-सीतापुर।

दिनांक-07.04.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त अफसर अनुपस्थित है।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में अभियुक्त के विरूद्ध कई बार आदेशिका जारी की गयी, परन्तु अभियुक्त उपस्थित नहीं आया। पत्रावली के परिशीलन से यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय में आरोप-पत्र दिनांक-16.08.2004 को प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। उल्लेखनीय है कि आज तक अभियुक्त उपस्थित नहीं आया है। इस प्रकार से देखा जाये तो प्रस्तुत मुकदमा लगभग 21 वर्ष से लम्बित है। आरोप-पत्र धारा-60 आबकारी अधिनियम में प्रेषित किया गया है एवं इसी के प्रकाश में विचारण भी लम्बित है। उक्त मामले में धारा-258 दं०प्र०सं० के प्राविधान आकृष्ट होते हैं। इस सम्बन्ध में **माननीय उच्च न्यायालय ने अपने परि-पत्र संख्या-52/ 2006 दिनांक-15.11.2006 एवं परिपत्र संख्या-57/ 2007 एडमिन "जी" दिनांकित 13.12.2007** में ऐसे मुकदमों को धारा-258 द०प्र०सं० के अन्तर्गत निस्तारित किये जाने पर बल दिया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त लगातार अनुपस्थित है। विधिव्यवस्था **मूलचन्द मोतीलाल राका बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1996 (2) क्राइम्स, 177 (बाम्बे) में माननीय उच्च न्यायालय** द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि अभियुक्त के उपस्थित न आने पर भी मजिस्ट्रेट कार्यवाही को धारा-258 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत समाप्त कर सकता है।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों एवं विधि व्यवस्था के प्रकाश में धारा-258 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत इस मुकदमें की कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O.Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2026.04.07 17:22:07 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M.
Mahmoodabad, Sitapur.